

डिक्री मुकदमा इत्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाबा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास - श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 48/2019/राजस्व वाद

उनवान

1. लक्ष्मण पि. गोपाल जाति गुर्जर नि.सांगरिया तहसील सुनेल

- वादी

बनाम

1. नन्दराम पि. कालू जाति गुर्जर नि.सांगरिया तहसील सुनेल
2. कन्हीराम पि. कालू जाति गुर्जर नि.सांगरिया तहसील सुनेल
3. कारीबाई पत्नि नन्दलाल जाति गुर्जर नि.सांगरिया तहसील सुनेल
4. गुडडीबाई पत्नि कनीराम जाति गुर्जर नि.सांगरिया तहसील सुनेल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

-प्रतिवादीगण


दावा अन्तर्गत धारा 53 , 188 , 209 रा.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरूव हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुदृदई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में ग्राम सांगरिया तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2071-74 के खाता सं. 198 आराजी किता 6 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि में वादी का 1/3 हक व हिस्सा अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी किस्म मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार सुनेल से प्राप्त हुआ। दावा फाइनल डिक्री कर पक्षकारान के खाते संलग्न बंटवारा प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस अनुसार पृथक पृथक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।



1


(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड़
प्रशासन मांव के संग 2021

